न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/189

1. अशोक कुमार पुत्र पन्नालाल जाति गूर्जर
2. नेवलाल पुत्र पन्नालाल जाति गूर्जर
3. मदनलाल पुत्र पन्नालाल जाति गूर्जर
   निवासीगण ग्राम गन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–अपीलांटगण

बनाम

1. रामभरोस पुत्र रामनाथ जाति गूर्जर निवासी ग्राम गन्दीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
3. मनन जैन पुत्र अशोक जैन जाति महाजन निवासी ग्राम गन्दीफली तहसील लाडपुरा हाल निवास तिलक नगर कोटडी, कोटा।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बद्रीप्रकाश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 29.08.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 60/2023 (2023/550) में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम गन्दीफली तह० लाडपुरा खसरा नम्बर 347 रकबा 1.97 हैक्टर आराजी स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी से लगवा अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी की ग्राम गन्दीफली मे खसरा नम्बर 337/684 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 346 रकबा 1.86 हैक्टर कुल किता 1.93 हैक्टर आराजी स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी ग्राम गन्दीफली स्थित 347 रकबा 1.97 हैक्टर की आराजी का रास्ता कैथून से देवली जाने वाला मुख्य रोड के पास स्थित में सरकारी नाले मे से होकर

अप्रार्थी की आराजी खिसरा नम्बर 337/684 के सहारे सहारे होते हुए खसरा नम्बर 336/833 की सिवाचयक आराजी मे मेर से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी मे आते जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी मे आने जाने का कोई रास्ता नही है। रास्ते का नक्शा साथ संलग्न है। प्रार्थीगण हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकारी नाले से होकर सहारे सहारे सरकारी भूमि मे से होकर अपनी आराजी को हांक जोतकर तैयार किया किन्तु हाल ही में बरसात होने के बाद अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी की आराजी के खसरा नम्बर 347 के रास्ते को हांक कर सरकारी भूमि पर कब्जा कर अपने खेत मे मिलकार रास्ते को मिटा दिया, प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर आने जाने से रोक दिया तथा प्रार्थीगण बड़ी मुश्किल से हाथ जोडी कर अपनी आराजी का हांककर फसल बोई है किन्तु अप्रर्थी द्वारा धमकी दी कि इस वर्ष तो निकल जाने देगा, लेकिन आयन्दा नही निकलने देगा। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की अपनी आराजी मे आने जाने का कोई रास्ता नही है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 15.06.2023 को अप्रार्थी द्वारा अपनी आराजी को इस वर्ष निकलने देने तथा आयन्दा नही निकलने देने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी ग्राम गन्दीफली स्थित खसरा नम्बर 347 के आने जाने के कदीमि रास्ते कैथून से देवली मुख्य रोड से लगवा बरसाती नाले से होकर अप्रार्थी की अराजी 337/835 की मेर से होकर रास्ते का खुलासा किया जाकर रास्ते में आई भूमि की राशि अप्रार्थी को देकर रास्ता बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किए जाने तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थी को मिल सके वह भी उपलब्ध करवाये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2025 के द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय जैरे अपील विधिक संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यो एंव स्थापित कानून के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो एवं कानूनी नजीरो का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 खसरा नम्बर 337/684, खसरा नम्बर 346 कुल 2 किता की 1.93 हैक्टर आराजी पर कायमी रास्ते से अपनी आराजी में आता जाता है। साथ ही रेस्पोडेन्ट क्रम 3 भी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के द्वारा कायमी रास्ते से अपनी आराजी में आता जाता है। रेस्पोडेन्ट से लगंवा ही अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 347 मौके पर मौजूद है। जो भी अप्रार्थीगण की आराजी में कायमी रस्ते से आता जाता रहता है उक्त रास्ते से अप्रार्थीगण अपीलान्ट के आने जाने में व्यवधान उत्पन्न करने के कारण अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो गुंणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही खारिज कर दिया जो सर्वथात्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट अपनी आराजी में किघर से होकर आता–जाता है, क्या अपीलान्ट के पास आज भी कोई रास्ता है, जिससे वह अपनी आराजी मे आता जाता रहा हो। प्राप्त रिपोर्टो मे ऐसा कोई रास्ता अपीलान्ट की आराजी के बारे में नही बताया गया है कि अपीलान्ट किस रास्ते से आता जाता हो। अपीलान्ट से लंगवा ही नहर है नहर पर खम्बे आदि डालकर पैदल चलने का रास्ता बना रखा है जिससे ट्रेक्टर ट्रोली नही निकलते है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानकर कि नहर पर पक्का रास्ता बनाकर अपीलान्ट आ जा सकता है। नहर पर रास्ता बनाना अपीलान्ट के बस की बात नही है। और नहर पर रास्ता बनाना अपराध की श्रेणी मे आता है इस बिन्दु पर ध्यान दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि खसरा नम्बर 292 रकबा 1.24 हैक्टर किस्म बंजड दर्ज है जिस पर से होकर ही अप्रार्थीगण का रास्ता है। जब अप्रार्थीगण खसरानम्बर 292 को रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग कर रहे है तो उससे आगे ही अपीलान्ट की आराजी है फिर भला रेस्पोडेन्ट को किसी बात को लेकर आपत्ति हो सकती है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह प्रमाणित किया है कि अपीलान्ट खसरा नम्बर 347 का खातेदार है, और मौके पर काबिज काश्त है। अपीलान्ट हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी आस पास के खातेदारो के हाथ जोडकर निकला है, कोई भी खातेदार अपनी आराजी मे निकलने नही देता है जब अपीलान्ट के पास रास्ता नही होने व प्रत्येक वर्ष परेशान होने के कारण अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जब पत्रावली पर यह तथ्य मौजूद है कि अपीलान्ट के पास मौके पर कोई आने जाने का रास्ता नही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कथन कहते हुए कि खसरा नम्बर 292 मे पानी का बहाव है जिसमे बरसात का पानी आता जाता है उक्त तथ्य

रेस्पोडेन्ट के लिये भी लागू होता है जब रेस्पोडेन्ट रास्ते से अपनी आराजी मे आ जा रहे है तो फिर भला अपीलान्ट को क्यो रोका जा रहा है। इस संबंध में गुणवगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। प्रस्तुत प्रकरण में अब्दुल रहमान के तथ्य लागू नही होते है कारण कि उक्त आराजी की हमेशा से किस्म बंजड दर्ज है तथा नदी नाला दर्ज नही रही है। किन्तु फिर भी गलत धरणा बनाकर अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.25 निरस्त किए जाने तथा प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपीलांटगण की आराजी पर आने–जाने का रास्ता नहर की तरफ से पूर्व में ही बना हुआ है, जिस पर होकर प्रार्थीगण अपीलांटगण अपनी आराजी पर आते–जाते है, तथा फसल वगैरहा भी पूर्व में स्थित रास्ते से ही निकालते आ रहे है, एवं प्रार्थीगण अपीलांटगण आराजी पर आने–जाने का पूर्व मे रास्ता स्थित है, इसके अलावा प्रार्थीगण अपीलांटगण की आराजी नहर के किनारे पर स्थित है, जो कि नहर से ही सम्पूर्ण आराजी लगी हुई है, और नहर पर सार्वजनिक रास्ता स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण एवं अन्य आस–पास के काश्तकार भी निकलते आ रहे है, यदि फिर भी प्रार्थीगण को स्वयं का रास्ता चाहिये तो रिपोर्ट हल्का पटवारी एवं ILR कैथून की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण नहर पर पुलिया बनाकर अपना रास्ता कायम कर सकते है, हल्का पटवारी की रिर्पोट के अनुसार भी प्रार्थीगण को प्रतिपक्षी क्रम 1 की आराजी में से रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खसरा नम्बर 337/684, तथा 346 की आराजी में से कभी भी निकलकर नहीं गये है, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त आराजी के सामने भी अन्य खातेदार की आराजी एवं सरकारी सिवायचक आराजी स्थित है, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सम्पूर्ण आराजीयात पर पत्थर का कोट किया हुआ है, जो कि काफी समय से इसी स्थिति में है, इस कारण प्रार्थीगण को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी में से होकर रास्ता दिया जाना किसी प्रकार से सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2025 में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का जो आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अपील संख्या 2025/189
अशोक कुमार बनाम रामभरोस

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण ने स्वयं के खाते की खसरा नम्बर 347 रकबा रकबा 1.97 हैक्टेयर वाके ग्राम गन्दीफली तहसील लाडपुरा की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता केथून से देवली जाने वाले मुख्य रोड के पास स्थित सरकारी नाले से होकर अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 337/684 के सहारे सहारे होते हुए खसरा नम्बर 336/835 की सिवायचक आराजी की मेर से होकर प्रार्थीगण की आराजी में जाने का कथन किया है तथा इसी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तलब की गई है जिसकी पालना में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक अपने पत्र कमांक 1996 दिनांक 25.04.2025 एवं पत्र कमांक 2966 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा भिजवाई गई है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पत्र कमांक 2966 के द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 को पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है, उक्त रिपोर्ट में के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता कोटा सांगोद रोड से खसरा नम्बर 292, 293, 337/684 व 337, 336 में होते हुए प्रस्तावित किया गया है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 में प्रार्थीगण के खाते की खसरा नम्बर 347 की भूमि नहर की खसरा नम्बर 196 की भूमि से लगी होने का अंकन है। अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता मोके पर विद्यमान नहीं है तथा अप्रार्थीगण नहर की ओर से अपनी भूमि में आते जाते है अतः प्रार्थीगण की भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता पूर्व से ही विद्यमान है जो नहर की ओर से होकर प्रार्थीगण की भूमि में जाता है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 पर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट रामभरोस द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नहर की ओर से विद्यमान होने का कथन किया है साथ ही प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित रास्ते का पूर्व में कभी भी उपयोग नहीं किए जाने का कथन किया गया है। रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 में अंकित नजरी नक्शे के अवलोकन से भी प्रार्थीगण अपीलांटगण के खाते की खसरा नम्बर 347 की भूमि नहर के खसरा नम्बर 196 की भूमि के लगवां स्थित होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः तलब की गई रिपोर्ट दिनांक 21.04.2025 में भी प्रार्थीगण के खाते की खसरा नम्बर 347 में पहुंचने के लिए पूर्व में खसरा नम्बर 196 गै.मु.नहर की भूमि में पाईप डालकर अस्थाई रास्ता बनाए जाने का अंकन किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते में आने वाली खसरा नम्बर 292 रकबा 1.24 हैक्टेयर किस्म बंजड़ भूमि के मोके पर पानी का बहाव क्षेत्र/नाला बना होने तथा उक्त नाले से बरसात का पानी निकलने का अंकन किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 एवं मोका रिपोर्ट दिनांक 21.04.2025 के अवलोकन से प्रार्थीगण अपीलांटगण के खाते की खसरा नम्बर 347 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नहर के खसरा नम्बर 196 की भूमि की ओर होना प्रकट होता है। साथ ही प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में मुख्य सड़क से जो रास्ता चाहा है, उक्त रास्ते में खसरा नम्बर 292 की भूमि स्थित है जो मोके पर बरसाती पानी का बहाव क्षेत्र/नाला होने से उक्त रास्ता कायम किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से भी यह प्रकट होता है कि नहर पर पाईप डालकर प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत पर जाने हेतु मार्ग बना रखा है। हमारे मत में प्रार्थीगण अपीलांटग के

खाते की भूमि में आने जाने हेतु पहले से ही मोके पर वैकल्पिक रास्ता विद्यमान है अतः प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा वांछित रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता होना प्रकट नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.05.2025 में प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा वांछित रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता का नहीं होने तथा बहाव क्षेत्र में स्थित होने के आधार पर प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 60/2023 (2023/550) में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा